संख्या-06/2021/526/22-2-2020-17(217)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2021***

विषय:-जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीराम पुत्र श्री राम हरख, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20-05-2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीराम पुत्र श्री राम हरख, ग्राम-रमवापुर नानकार, थाना-शोहरतगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी मुकदमेबाजी व खेत से फसल काटने के विवाद को लेकर दिनांक 08.04.1983 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा व लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-43/2013 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, बस्ती के आदेश दिनांक 29.03.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.09.2019 तक 07 वर्ष 03 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 09 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार नहीं किये जा सकने के आधार पर समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरीराम (बंदी संख्या-105/2018) पुत्र श्री राम हरख, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-06/2021/526(1)/22-2-2020 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सिद्धार्थनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in